



60



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक-

/2012 R-3698-II/12

कोस आज दि... को प्रस्तुत

कोमल पुत्र सूबा लौधी, निवासी- ग्राम बिसनपुरा, तहसील खनियाधाना परगना पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

—आवेदक

श्री...
श्री...

बनाम

1. प्रहलाद लोधी पुत्र श्री कालूराम लोधी
2. रामकुमार पुत्र श्री कालूराम लोधी, (म.प्र.)
निवासीगण-ग्राम बिसनपुरा, तहसील खनियाधाना परगना पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्र. 48/09-10/अ. में पारित आदेश दिनांक 05/10/12 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

Reader.

26-10-12

3

कोमल विरुध प्रहलाद लोधी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक अमित भार्गव उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 4८/2009-10/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 05/10/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर०के० जैन) 17/5/19 सदस्य</p>